क्रम-संख्या–177(ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 19 मई, 2026

वैशाख 29, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग–7

संख्या 530/पांच-7–2026

लखनऊ, 19 मई, 2026

अधिसूचना

सा०प०नि०–41

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (अधिनियम संख्या 18 सन् 1969) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:–

उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2026 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2–जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (अधिनियम संख्या 18 सन् 1969) से है;

(ख) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है;

(ग) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है;

(घ) "रजिस्टर" का तात्पर्य पोर्टल द्वारा जनित इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य प्रकार के रजिस्टर से है।

गर्भावधि का समय

3–धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के प्रयोजनार्थ गर्भावधि का समय अट्ठाइस सप्ताह होगा।

धारा 4(4) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करना

4–धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट, इस नियमावली से संलग्न विहित प्रारूप में तैयार की जायेगी और धारा 19 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सांख्यिकीय रिपोर्ट के साथ प्रत्येक वर्ष के लिए, जिस वर्ष से रिपोर्ट सम्बंधित है, के पश्चात् वाले वर्ष की 31 जुलाई तक मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

जन्म और मृत्यु की सूचना देने के लिए प्रपत्र आदि

5–(1) क्रमशः जन्म, मृत्यु और मृत-जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए यथास्थिति, धारा 8 या धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रार को दी जाने वाली अपेक्षित सूचना प्रपत्र संख्या–1, 2 और 3 में होगी, जिन्हें आगे सामूहिक रूप से रिपोर्टिंग प्रपत्र कहा जायेगा। यदि सूचना मौखिक रूप से दी जाती है तो रजिस्ट्रार द्वारा उसे समुचित प्रारूप में प्रविष्ट किया जायेगा और सूचनादाता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त किया जायेगा।

(2) रिपोर्टिंग प्रपत्रों का वह भाग, जिसमें विधिक सूचना होती है, उसे "विधिक भाग" कहा जायेगा और सांख्यिकीय सूचना वाले भाग को "सांख्यिकीय भाग" कहा जायेगा।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना, जन्म, मृत्यु और मृत-जन्म के दिनांक से इक्कीस दिन के भीतर दी जायेगी।

(4) उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2026 में निर्दिष्ट प्रपत्रों में नाम, जहाँ कहीं भी आता है, को (प्रथम नाम) (मध्य नाम) (अंतिम नाम) के प्रपत्र में दिया जाएगा और नाम में कोई संक्षेपाक्षर सम्मिलित नहीं होंगे।

(5) उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2026 में निर्दिष्ट प्रपत्रों में दिनांक जहाँ भी आती है, को दिन–मास–वर्ष के प्रारूपों में उपबंधित किया जायेगा, जिसमें दिन दो अंकों में, मास दो अंकों में और वर्ष चार अंकों में है।

(6) उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2026 में निर्दिष्ट प्रपत्रों में जहाँ भी पता आता है, उसमें राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम, जिला, उप जिला, नगर या गाँव, वार्ड संख्या (नगर की दशा में और यदि उपलब्ध हों), मोहल्ला, मकान संख्या और पिनकोड, अंतर्विष्ट होगा।

यान में जन्म अथवा मृत्यु

6–(1) किसी सचल यान में जन्म या मृत्यु होने के सम्बन्ध में यान का प्रभारी, विराम के प्रथम स्थान पर धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन सूचना देगा या दिलवायेगा।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन के लिए शब्द "यान" का तात्पर्य भूमि, वायु या जल पर प्रयुक्त होने वाली किसी भी प्रकार की सवारी से है और इसके अन्तर्गत कोई वायुयान, नाव, पोत, रेल वाहन, मोटर कार, मोटर साइकिल, गाड़ी, तांगा और रिक्शा भी है।

(2) ऐसी मृत्यु की दशा में [जो धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ङ) के अधीन नहीं आती है] जिसमें मृत्यु की समीक्षा की जाये, वह अधिकारी, जो मृत्यु की समीक्षा करता है, धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन सूचना देगा या दिलवायेगा।

धारा 10 की उपधारा (2) और (3) के अधीन प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

7–धारा 10 की उपधारा (2) एवं (3) के अधीन अपेक्षित मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र जिसके, अंतर्गत बीमारी का इतिहास, यदि कोई हो, सहित क्रमशः प्रपत्र संख्या-4 (चिकित्सकीय संस्था में हुई मृत्यु की दशा में) और 4-क (गैर-चिकित्सकीय संस्था में हुई मृत्यु की दशा में) में जारी किया जायेगा। मृत्यु के कारण के चिकित्सा प्रमाण-पत्र की प्रति मृतक के निकटतम परिजनों को भी हस्तगत की जाएगी।

रजिस्ट्रार, मृत्यु के रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने एवं पोर्टल पर प्रविष्टियाँ करने के पश्चात् समस्त ऐसे प्रमाण–पत्र उस मास के ठीक अनुवर्ती मास के जिससे प्रमाण-पत्र सम्बन्धित है, दसवें दिन तक जिला रजिस्ट्रार को अग्रसारित करेगा।

धारा 12 के अधीन जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का दिया जाना

8–(1) जन्म या मृत्यु से सम्बन्धित रजिस्टर से उद्धरित जन्म या मृत्यु का प्रमाण-पत्र, जो धारा 12 के अधीन सूचनादाता को इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्य रूप में, जैसी भी स्थिति हो, प्रपत्र संख्या–5 या प्रपत्र संख्या–6 में दिया जाएगा।

(2) धारा 8 की उपधारा (1) के, खण्ड (क), (कक), (कख) और (कग) में निर्दिष्ट यथास्थिति जन्म और मृत्यु की घर में होने वाली घटनाओं की दशा में, जो सीधे जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को सूचित की जाती हैं, यथास्थिति, घर या गृहस्थी के मुखिया या उसकी अनुपस्थिति में घर में उपस्थित मुखिया का निकटतम सम्बन्धी या उसकी अनुपस्थिति में यथास्थिति उपस्थित सबसे बड़ा व्यस्क व्यक्ति, दत्तकग्राही माता–पिता, माता–पिता और जैविक माता–पिता, सूचित किए जाने के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार से इलेक्ट्रानिक रूप सें या अन्य रूप में, जन्म या मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

(3) धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट जन्मों और मृत्युओं की घर में होने वाली घटनाओं के मामले, में जिनकी सूचना उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा दी जाती है, इस प्रकार के विनिर्दिष्ट व्यक्ति जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रमाण-पत्र को यथास्थिति घर या गृहस्थी के सम्बन्धित मुखियां को या उसकी अनुपस्थिति में मुखिया के किसी निकटतम सम्बन्धी जो घर में उपस्थित हो या उसकी अनुपस्थिति में घर के सबसे बड़े वयस्क व्यक्ति को रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने के तीस दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप में उपलब्ध कराएगा।

(4) धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (ङ) तक और (घक), (घख) और (घग) में निर्दिष्ट संस्थागत, जन्म और मृत्यु की घटनाओं के मामले में, यथास्थिति, नवजात शिशु या मृतक का निकटतम सम्बन्धी, सम्बन्धित संस्था के अधिकारी या भारसाधक व्यक्ति से जन्म या मृत्यु की घटना घटने के तीस दिन के भीतर प्रमाण–पत्र इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा प्राप्त कर सकता है।

(5) यदि उपनियम (2) से (4) तक यथानिर्दिष्ट सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा उसमें नियत अवधि के भीतर जन्म या मृत्यु के प्रमाण-पत्र एकत्र नहीं किये जाते हैं, तो उपनियम (4) में यथा निर्दिष्ट रजिस्ट्रार या सम्बन्धित संस्था के अधिकारी या भारसाधक व्यक्ति उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर सम्बन्धित परिवार को डाक से प्रमाण-पत्र भेजेगा।

धारा 13 के अधीन विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकारी और उसके लिए संदेय फीस

9–(1) किसी जन्म या मृत्यु जिसकी सूचना नियम 5 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् किन्तु उसके होने के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाये, वह बीस रुपये (रुपये 20/–) विलम्ब फीस के संदाय पर रजिस्ट्रीकृत की जायेगी।

(2) किसी जन्म या मृत्यु जिसकी विलम्बित सूचना उसके होने के तीस दिन के पश्चात् किन्तु एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाये, वह नगरीय क्षेत्रों के लिए जिला रजिस्ट्रार अथवा अपर जिला रजिस्ट्रार (नगरीय) तथा राजकीय चिकित्सालयों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अपर जिला रजिस्ट्रार (ग्रामीण) की लिखित अनुज्ञा पर और पचास रुपये (रुपये 50/–) के विलम्ब फीस के संदाय पर और प्रपत्र संख्या–14 में इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा स्व-प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर रजिस्ट्रीकृत की जायेगी।

(3) किसी जन्म या मृत्यु, जिसकी विलम्बित सूचना रजिस्ट्रार को एक वर्ष के पश्चात् दी जाती है, तो उसे जिला मजिस्ट्रेट या उप जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र पर है, जहाँ जन्म या मृत्यु हुई है, के निर्गत आदेश पर और एक सौ रूपये (रुपये 100/–) के विलम्ब शुल्क के संदाय पर ही रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

धारा 14(1) के प्रयोजन के लिए अवधि

10–(1) जहां किसी बालक का जन्म नाम के बिना रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, वहां ऐसे बालक के माता–पिता या संरक्षक बालक के नाम के सम्बन्ध में सूचना या तो मौखिक या लिखित रूप में रजिस्ट्रार को, बालक के जन्म के रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से बारह मास के भीतर देगा:

परन्तु यदि सूचना 12 मास की उपर्युक्त अवधि के पश्चात किन्तु 15 वर्ष की अवधि के भीतर दी जाती है, तो उसकी गणना निम्न प्रकार से की जायेगी–

(एक) ऐसे मामले में जहां रजिस्ट्रीकरण, उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2002 के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व कराया गया हो, वहां ऐसे दिनांक से या,

(दो) ऐसे मामले में जहाँ रजिस्ट्रीकरण, उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2002 के प्रारम्भ होने के दिनांक के पश्चात् कराया जाये, वहां धारा 23 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन ऐसे रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से रजिस्ट्रार–

(क) यदि रजिस्टर उसके कब्जे में है तो रुपये पाँच के विलम्ब शुल्क के संदाय पर जन्म रजिस्टर में सम्बन्धित प्रारूप के सुसंगत स्तम्भ में नाम तत्काल अंकित करेगा।

(ख) यदि रजिस्टर उसके कब्जे में नहीं है और यदि सूचना मौखिक रूप में दी गई हो, तो आवश्यक विशिष्टियां देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा और यदि सूचना लिखित रूप में दी गई हो, तो उसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी को रुपये पाँच के बिलम्ब शुल्क के संदाय पर आवश्यक प्रविष्टि करने के लिए अग्रसारित करेगा।

(2) यथास्थिति, माता–पिता या अभिभावक धारा 12 के अधीन उसे दिये गये उद्धरण की प्रति या धारा 17 के अधीन उसे दिया गया प्रमाणित उद्धरण रजिस्ट्रार के समक्ष भी प्रस्तुत करेगा और ऐसी प्रस्तुतीकरण पर रजिस्ट्रार बालक के नाम के सम्बन्ध में आवश्यक पृष्ठांकन करेगा या उपनियम (1) के परन्तुक के खण्ड (ख) में यथा अधिकथित कार्यवाही करेगा।

जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टि को ठीक या रद्द करना

11–(1) यदि रजिस्ट्रार को यह रिपोर्ट दी जाती है कि रजिस्टर में कोई लिपिकीय या औपचारिक त्रुटि हो गई है या यदि ऐसी किसी त्रुटि का उसे अन्यथा पता लगता है और यदि रजिस्टर उसके कब्जे में है तो रजिस्ट्रार इस विषय में जांच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी कोई त्रुटि हो गयी है तो यह धारा 15 में यथा उपबन्धित रूप में त्रुटि को (प्रविष्टि को ठीक या रद्द करके) ठीक करेगा और ऐसी प्रविष्टि का एक उद्धरण जिसमें यह दर्शित किया जायेगा कि त्रुटि क्या थी और उसे कैसे ठीक किया गया है, जिला रजिस्ट्रार को प्रेषित करेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट मामले में, यदि रजिस्टर उसके कब्जे में नहीं है तो रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार को इस निमित्त रिपोर्ट करेगा और सुसंगत रजिस्टर मंगाएगा और इस विषय में जांच करने के पश्चात् यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी कोई त्रुटि हुई है तो वह आवश्यक सुधार करेगा।

(3) रजिस्ट्रार से रजिस्टर प्राप्त होने पर, जिला रजिस्ट्रार, उपनियम (2) में यथा उल्लिखित ऐसे सुधार पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति प्राख्यान करता है कि जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में कोई प्रविष्टि सारतः त्रुटिपूर्ण है तो रजिस्ट्रार, उस व्यक्ति द्वारा ऐसी कोई घोषणा प्रस्तुत कर दी जाने पर, जिसमें त्रुटि के स्वरूप और मामले के सही तथ्यों को दर्शाया गया हो और जो दो ऐसे विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा किया गया हो जिन्हें मामले के तथ्यों का ज्ञान हो, धारा 15 के अधीन विहित रीति से प्रविष्टि को ठीक कर सकेगा।

(5) उपनियम (1) और उपनियम (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार उनमें निर्दिष्ट प्रकार के किसी भी सुधार की रिपोर्ट इस सम्बंध में आवश्यक ब्यौरे देते हुए जिला रजिस्ट्रार को देगा।

(6) यदि रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाये कि जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में कोई प्रविष्टि कपटपूर्वक या अनुचित रूप से की गई है, तो वह मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, धारा 25 के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक ब्यौरे देते हुए एक रिपोर्ट देगा और उसके निर्देशानुसार उस मामले में आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(7) ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें कोई प्रविष्टि इस नियम के अधीन ठीक या रद्द की गई हो, उसकी सूचना उस व्यक्ति को जिसने धारा 8 या धारा 9 के अधीन सूचना दी है, उसके स्थायी पते पर प्रेषित की जानी चाहिए।

धारा 16 के अधीन रजिस्टर का प्रपत्र

12–प्रपत्र संख्या–1, 1(क), 2 और 3 के विधिक भाग से जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर और मृत–जन्म रजिस्टर बनेगा व क्रमशः प्रपत्र संख्या–7, 8 और 9 के रूप में जाना जायेगा।

धारा 17 के अधीन संदेय फीस और डाक व्यय

13–(1) धारा 17 के अधीन, इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा जारी किये जाने वाले जन्म या मृत्यु प्रमाण-पत्र या अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र की खोज के लिए संदेय फीस निम्नलिखित होगी–

(क)	जिस वर्ष के लिए खोज की जा रही है उसके प्रथम वर्ष में किसी एकल प्रविष्टि की खोज के लिए	20.00 रुपये
(ख)	प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए जिसके लिए खोज जारी रहे	20.00 रुपये
(ग)	प्रत्येक जन्म या मृत्यु से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र देने के लिए	50.00 रुपये
(घ)	जन्म या मृत्यु का अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र देने के लिए	20.00 रुपये

(2) जन्म या मृत्यु से सम्बंधित रजिस्टर से उद्धरण के आधार पर ऐसा कोई प्रमाण-पत्र धारा 17 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा यथास्थिति, प्रारूप संख्या–5 में या प्रारूप संख्या–6 में जारी किया जायेगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 47 सन् 2023) की धारा 75 में उपबन्धित रीति से प्रमाणित किया जायेगा।

(3) यदि जन्म या मृत्यु की कोई विशिष्ट घटना रजिस्ट्रीकृत नहीं पायी जाती है तो रजिस्ट्रार प्रारूप संख्या–10 में अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(4) कोई ऐसा प्रमाण-पत्र या अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र उसकी मांग करने वाले व्यक्ति को उपलब्ध कराया जा सकता है या उस हेतु डाक व्यय का संदाय कर दिये जाने पर उसके पास डाक द्वारा भेजा जा सकता है।

धारा 19(1) के अधीन अंतराल और कालिक विवरणियों के प्रपत्र

14–(1) प्रत्येक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के पश्चात् प्रत्येक माह से सम्बन्धित सूचना प्रपत्रों के सभी सांख्यिकीय भागों को जन्मों के लिए प्रपत्र संख्या–11, मृत्युओं के लिए प्रपत्र संख्या–12 और मृत जन्मों के लिए प्रपत्र संख्या–13 में संक्षिप्त मासिक रिपोर्टों के साथ आगामी माह के पांचवें दिवस को या उससे पहले अपर जिला रजिस्ट्रार (उप मुख्य चिकित्साधिकारी, नगरीय क्षेत्र और जिला पंचायत राज अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र) को भेजेगा।

(2) इस प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकारी स्वयं द्वारा प्राप्त किये गये रिपोर्ट प्ररूपों के ऐसे सभी सांख्यिकीय भागों को अगले माह के दसवें दिवस तक जिला रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा।

(3) जिला रजिस्ट्रार स्वयं द्वारा प्राप्त किये गये रिपोर्ट प्ररूपों के ऐसे सभी सांख्यिकीय भागों को अगले माह के पन्द्रहवें दिवस तक मुख्य रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा।

धारा 19(2) के अधीन सांख्यिकीय रिपोर्ट

15–धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन सांख्यिकीय रिपोर्ट में इस नियमावली के साथ संलग्न विहित प्ररूपों में सारणियां सम्मिलित होंगी और उसका संकलन प्रत्येक वर्ष, उसके ठीक पश्चातवर्ती वर्ष की 31 जुलाई से पूर्व किया जायेगा और उसके पश्चात् उसका प्रकाशन यथाशीघ्र किन्तु किसी भी दशा में उक्त दिनांक से पाँच माह के भीतर किया जायेगा।

अपराधों के प्रशमन की शर्तें

16–(1) धारा 23 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यदि इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि अपराध अनवधानता से या अन्वेक्षा से या प्रथम बार किया गया है, इस अधिनियम के अधीन दाण्डिक कार्यवाहियों के संस्थित किये जाने से पूर्व कर सकेगा।

(2) ऐसा कोई अपराध ऐसी राशि के संदाय पर जो धारा 23 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (4) के अधीन अपराधों के लिए रुपये–दो सौ पचास मात्र, उपधारा (3) के अधीन अपराधों के लिए रुपये–पचास मात्र तथा उपधारा (1क) और उपधारा (4क) के अधीन प्रत्येक जन्म या मृत्यु के संबंध में अपराधों के लिए रुपये–एक हजार मात्र से अनधिक होगी, प्रशमन किया जा सकेगा, जैसा उक्त अधिकारी ठीक समझे।

अपील

16(क)– धारा 25क की उपधारा (1) के अधीन अपील प्रपत्र संख्या–15 में प्रस्तुत की जाएगी ।

धारा–30 की उपधारा (2) के खण्ड (ट) के अधीन रजिस्टर और अन्य अभिलेख

17–(1) जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर और मृत–जन्म रजिस्टर, स्थायी महत्व के अभिलेख होंगे और उन्हें नष्ट नहीं किया जायेगा।

(2) रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञा तथा धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन विलंबित रजिस्ट्रीकरण के लिए जारी आदेश जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर और मृत–जन्म रजिस्टर के अभिन्न अंग होंगे तथा उन्हें नष्ट नहीं किया जायेगा:

परन्तु धारा 10 की उपधारा (2) और (3) के अधीन प्रदान किया गया मृत्यु के कारण विषयक प्रमाण-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक रखा जायेगा।

(3) प्रत्येक जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर और मृत–जन्म रजिस्टर को रजिस्ट्रार द्वारा कलेण्डर वर्ष की, जिससे वह सम्बन्धित है, समाप्ति के पश्चात् से बारह माह की अवधि तक अपने कार्यालय में रखा जायेगा और तत्पश्चात् ऐसा रजिस्टर सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिला रजिस्ट्रार को अन्तरित कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,
अमित कुमार घोष,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 530/V-7–2026, dated May 19. 2026:

No. 530/V-7–2026

Dated Lucknow, May 19, 2026

IN exercise of the powers conferred by Section 30 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (Act no. 18 of 1969) and in supersession of all the existing rules on the subject, the Governor with the approval of the Central Government is pleased to makes the following Rules, namely:–

THE UTTAR PRADESH REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS RULES, 2026

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Registration of Births and Deaths Rules, 2026.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official *Gazette*.

Definitions

2. In these Rules, unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means The Registration of Births and Deaths Act, 1969 (Act no. 18 of 1969):

(b) "Form" means a Form appended to these Rules; and

(c) "Section" means a section of the Act;

(d) "Register" means the electronic or other form of register generated by the portal.

Period of gestation

3. The period of gestation for the purposes of clause (g) of sub-section (l) of Section 2 shall be twenty-eight weeks.

Submission of report under section 4(4)

4. The report under sub-section (4) of Section 4 shall be prepared in the prescribed format appended to these Rules and shall be submitted along with the statistical report referred to in sub-section (2) of Section 19 to the State Government by the Chief Registrar for every year by the 31st July of the year following the year to which the report relates.

Form, *etc.* for giving information of births and deaths

5.(1) The information required to be given to the Registrar under section 8 or section 9, as the case may be, shall be in Form no. 1, 2 and 3 for the Registration of a birth, death and still-birth respectively, hereinafter to be collectively called the reporting forms. Information if given orally, shall be entered by the Registrar in the appropriate reporting forms and the signature/thumb impression of the informant obtained.

(2) The part of the reporting forms containing legal information shall be called the 'Legal Part' and the part containing statistical information shall be called the 'Statistical Part'.

(3) The information referred to in sub- rule(1) shall be given within twenty-one days from the date of birth, death and still-birth.

(4) Name, wherever it occurs, in Forms referred to in The Uttar Pradesh Registration of Births and Deaths Rules, 2026, shall be provided in the format of (first name) (middle name) (last name) and the name shall not contain any abbreviations.

(5) Date, wherever it occurs, in Forms referred to in The Uttar Pradesh Registration of Births and Deaths Rules, 2026, shall be provided in the format of (dd-mm-yyyy) where dd is the date in two digits, mm is the month in two digits and yyyy is the year in four digits.

(6) The address, wherever it occurs, in Forms referred to in The Uttar Pradesh Registration of Births and Deaths Rules, 2026, shall contain the name of State or Union Territory, District, Sub-district, Town or Village, Ward number (in case of town and if available), Locality, House number and PIN Code.

Birth or death in a vehicle

6.(1) In respect of a birth or death in a moving vehicle, the person in charge of the vehicle shall give or cause to be given the information under sub-section (1) of Section 8 at the first place of halt.

Explanation:- For the purpose of this rule the term "Vehicle" means conveyance of any kind used on land, air or water and includes an aircraft, a boat, a ship, a railway carriage, a motor-car, a motor-cycle, a cart, a tanga and a rickshaw.

(2) In the case of deaths [not falling under clauses (a) to (e) of sub-section (1) of Section (8)] in which an inquest is held, the officer who conducts the inquest shall give or cause to be given the information under sub-section (1) of Section 8.

Form of certificate under sub-sections (2) and (3) of Section 10

7. The certificate as to the cause of death, including the history of illness, if any, required under sub-sections (2) and (3) of Section 10 shall be issued in Form no. 4 (In case of death occurred in Medical institution) and 4A (In case of death occurred in a place other than Medical institution) respectively. The copy of such (Medical Certification of Cause Death) certificate will be handed over to the nearest relatives of the deceased.

The Registrar shall, after making necessary entries in the register of deaths and after making entries on portal, forward all such certificates to the District Registrar by the 10th day of the month immediately following the month to which the certificates relate.

Certificate of registration of births or deaths to be given under section 12

8.(1) The certificate of birth or death extracted from the register relating to births or deaths to be given to an informant, electronically or otherwise, under section 12 shall be in Form no. 5 or Form no. 6, as the case may be.

(2) In the case of domiciliary events of births and deaths, as the case may be, referred to in clauses (a), (aa), (ab) and (ac) of sub-section (1) of Section 8 which are reported direct to the Registrar of Births and Deaths, the head of the house or household, as the case may be, or, in his absence, the nearest relative of the head present in the house, or, in his absence, the oldest adult person present, the adoptive parents, the parent, and the biological parent, as the case may be, may obtain electronically or otherwise the certificate of birth or death from the Registrar within thirty days of its reporting.

(3) In the case of domiciliary events of births and deaths referred to in clause (a) of sub-section (1) of Section 8 which are reported by persons specified by the State Government under sub-section (2) of the said Section, the person so specified shall transmit, electronically or otherwise, the certificate received from the Registrar of Births and Deaths to the concerned head of the house or household as the case may be, or, in his absence, the nearest relative of the head present in the house or, in his absence, the oldest adult person present, within thirty days of its issue by the Registrar.

(4) In the case of institutional events of births and deaths, as the case may be, referred to in clauses (b) to (e) and (da), (db) and (dc) of sub-section (1) of Section 8, the nearest relative of the new born or deceased may obtain electronically or otherwise the certificate from the officer or person in charge of the institution concerned within thirty days of the occurrence of the event of birth or death.

(5) If the certificate of birth or death is not collected by the concerned person as referred to in sub-rules (2) to (4) within the period stipulated therein, the Registrar or the officer or person in charge of the concerned institution as referred to in sub-rule (4) shall transmit the same to the concerned family by post within fifteen days of the expiry of the aforesaid period.

Authority for delayed registration under section 13 and fee payable therefore

9.(1) Any birth or death of which information is given to the Registrar after the expiry of the period specified in Rule 5, but within thirty days of its occurrence, shall be registered on payment of a late fee of twenty rupees (Rs 20/-).

(2) Any birth or death for which delayed information is provided to the Registrar after thirty days but within one year of its occurrence shall be registered only with the written permission of the District Registrar or the Additional District Registrar (Urban) for the urban areas and the Government health registration units, and the Additional District Registrar (Rural) for the rural areas and on payment of a late fee of fifty rupees (Rs 50/-)and on production of self-attested document, electronically or otherwise, in Form no. 14.

(3) Any birth or death of which delayed information is given to the Registrar after one year of its occurrence, shall be registered only on an Order made by the District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate or by an Executive Magistrate authorized by District Magistrate, having jurisdiction over the area where the birth or death has taken place and on payment of a late fee of one hundred rupees (Rs 100/-).

Period for the purpose of Section 14(1)

10.(1) Where the birth of any child had been registered without a name, the parent or guardian of such child shall, within 12 months from the date of registration of the birth of child, give information regarding the name of the child to the Registrar either orally or in writing:

Provided that if the information is given after the aforesaid period of 12 months but within a period of 15 years, which shall be reckoned:-

(i) In case where the registration had been made prior to the date of commencement of the Uttar Pradesh Registration of Births and Deaths Rules, 2002, from such date; or

(ii) In case where the registration is made after the date of commencement of the Uttar Pradesh Registration of Births and Deaths Rules 2002, subject to the provisions of sub-section (4) of Section 23, from the date of such registration the Registrar shall–

(a) if the register is in his possession forthwith enter the name in the relevant column of the concerned form in the birth register on payment of a late fee of rupees five;

(b) if the register is not in his possession and if the information is given orally, make a report giving necessary particulars, and, if the information is given in writing, forward the same to the officer specified by the State Government in this behalf for making the necessary entry on payment of a late fee of rupees five.

(2) The parent or the guardian, as the case may be, shall also present to the Registrar the copy of the extract given to him under section 12 or a certified extract issued to him under section 17 and on such presentation the Registrar shall make the necessary endorsement relating to the name of the child or take action as laid down in Clause (b) of the proviso to sub-rule (1).

Correction or cancellation of entry in the register of births and deaths

11.(1) If it is reported to the Registrar that a clerical or formal error has been made in the register or if such error is otherwise noticed by him and if the register is in his possession, the Registrar shall enquire into the matter and if he is satisfied that any such error has been made, he shall correct the error (by correcting or cancelling the entry) as provided in Section 15 and shall send an extract of the entry showing the error and how it has been corrected to the District Registrar.

(2) In the case referred to in sub-rule (1) if the register is not in his possession, the Registrar shall make a report to District Registrar in this behalf and call for the relevant register and after enquiring into the matter, if he is satisfied that any such error has been made, make the necessary correction.

(3) Any such correction as mentioned in sub-rule (1) shall be countersigned by District Registrar in this behalf when the register is received from the Registrar.

(4) If any person asserts that any entry in the register of births and deaths is erroneous in substance, the Registrar may correct the entry in the manner prescribed under section 15 upon production by that person a declaration setting forth the nature of the error and true facts of the case made by two credible persons having knowledge of the facts of the case.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and sub-rule (4) the Registrar shall make report of any correction of the kind referred to therein giving necessary details to District Registrar in this behalf.

(6) If it is proved to the satisfaction of the Registrar that any entry in the register of births and deaths has been fraudulently or improperly made, he shall make a report giving necessary details to the officer authorized by the Chief Registrar by general or special order in this behalf under section 25 and on hearing from him take necessary action in the matter.

(7) In every case in which an entry is corrected or cancelled under this rule, intimation thereof should be sent to the permanent address of the person who has given information under section 8 or section 9.

Form of register under section 16

12.The legal part of the Forms no. 1, 1A, 2 and 3 shall constitute the birth register, death register and still birth register and shall be known as Form 7, 8 and 9 respectively.

Fees and postal charges payable under section 17

13.(1) The fees payable for a search to be made a certificate of birth or death or a non-availability certificate to be issued under section 17, electronically or otherwise, shall be as follows:–

(a)	Search for a single entry in the first year for which the search is made	20.00 Rupees
(b)	For every additional year for which the search is continued	20.00 Rupees
(c)	For granting certificate relating to each birth or death	50.00 Rupees
(d)	For granting non-availability certificate of birth or death	20.00 Rupees

(2) Any such certificate on the basis of extract from the register relating to birth or death shall be issued under section 17, by the Registrar in Form no. 5 or, as the case may be, in Form no. 6 and shall be certified in the manner provided for in Section 75 of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (Act no. 47 of 2023).

(3) If any particular event of birth or death is not found registered the Registrar shall issue a non-availability certificate in Form no. 10.

(4) Any such certificate or non-availability certificate may be furnished to the person asking for it or sent to him by post on payment of the postal charges therefore.

Interval and forms of periodical returns under section 19(1)

14.(1) Every Registrar shall after completing the process of registration send all the Statistical Parts of the reporting forms relating to each month along with a Summary Monthly Report in Form no. 11 for births, Form no. 12 for deaths and Form no. 13 for still births to the Additional District Registrar (Chief Medical Officer for Urban areas and District Panchayat Raj Officer for Rural areas) on or before the 5th of the following month.

(2) The officer so specified shall forward all such statistical parts of the reporting forms received by him to the district Registrar not later than the 10th day of the following month.

(3) The District Registrar shall forward all such statistical parts of the reporting forms received by him to the Chief Registrar not later than the 15th day of the following month.

Statistical report under section 19(2)

15. The statistical report under sub-section (2) of Section 19 shall contain the tables in the prescribed formats appended to these rules and shall be compiled for each year before the 31st July of the year immediately following and shall be published as soon as may be thereafter but in any case not later than five months from that date.

Conditions for compounding offences

16.(1) Any offence punishable under section 23 may, either before or after the institution of criminal proceedings under this Act, be compounded by an officer authorized by the Chief Registrar by a general or special order in this behalf, if the officer so authorized is satisfied that the offence was committed through inadvertence or oversight or for the first time.

(2) Any such offence may be compounded on payment of such sum, not exceeding rupees two hundred and fifty only for offences under sub-sections (1), (2) and (4), rupees fifty only for offences under sub-section (3), and rupees one thousand only in respect of each birth or death for offences under sub-sections (1A) and (4A) of Section 23, as the said officer may think fit.

Appeal

16.(A) An appeal under sub-section (1) of Section 25A shall be preferred in Form no. 15.

Registers and other records under section 30(2)(k)

17.(1) The birth register, death register and still birth register shall be records of permanent importance and shall not be destroyed.

(2) The permission granted under sub-section (2) of Section 13 and the orders issued under sub-section (3) of Section 13 for delayed registration received by the Registrar shall form an integral part of the birth register, death register and still birth register and shall not be destroyed.

But the certificate as to the cause of death furnished under sub-sections (2) and (3) of the Section 10 shall be retained for a period of at least 5 years by the District Registrar.

(3) Every birth register, death register and still birth register shall be retained by the Registrar in his office for a period of twelve months after the end of the calendar year to which it relates and such register shall thereafter be transferred for safe custody to District Registrar.

By order,
AMIT KUMAR GHOSH,
Appar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 410 राजपत्र–2026–(876)–599 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1 सा० चिकित्सा–2026–(877)–500 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

410 RPH (Chikitsa anubhag-7 (Niyamavali) 2026 data 1e